



नई दिल्ली | राजधानी स्थिति | क उपभोक्ता अदालत ने अनुचित व्यापार कर्यप्रणाली के लिए | हनिदुस्तान लीवर की खचाई करते हुए | उसे नरिदेश दिया है | वह डटिर्जेंट खरीदने वाले | कव्यक्ता के 5.5 लाख रूप | क भुगतान करे |

मामले के अनुसार इस क्रेता ने हनिदुस्तान लीवर द्वारा शुरू की गई | क योजना के तहत 5 लाख रूप | क इनाम जीता था, लेकिन कंपनी ने उसे यह इनाम नहीं दिया |

नई दिल्ली जिला उपभोक्ता वाद नविवरण फोरम ने व्यवस्था दी किलॉटरी के जरू | बकिरी ब | ने के लिए | शुरू की गई योजना “दोषपूर्ण” थी और कहा कि यह वह समय था जब शुरू की जाने से पहले इस तरह की पेशकश के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा वनियिमति किया जाता है और उसके जांच प | ताल की जाती है तथा | क नयियामक मशीनरी स्थापति की जाती है, ताकि जनता से धोखाध | के रोक जा सके |

सीकेचतुर्वेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंत्रालय से मुद्दे से नपिटने के कहा | पीठ ने कहा कि उपभोक्ता वाद नविवरण मशीनरी इससे नहीं नपिट सकती | यह (उपभोक्ता अदालत 0 नहीं रोक सकती | यह केवल मुआवजा प्रदान कर सकती है या घटना के बाद स्कीम बंद करने क सीधे नरिदेश दे सकती है |

कंपनी ने अपनी योजना के लिए | नकिले वजिजापन में कहा था कि यदि कोई सर्फ | क्सेल के पैक में ‘10-10’ नशान वाला | क कम्पा | पाता है तो उसे 5 लाख रूप | क इनाम मिलेगा |

हालांकि, दिल्ली नविसी शकियतकर्ता नाथू सहि राजपूत ने कहा कि उसे डटिर्जेंट के पैक में ‘10-10’ नशान वाला कम्पा | मिला | उसने इस बारे में कंपनी के सूचति किया, लेकिन उसे इनाम नहीं दिया गया |

(भाषा)